राजनीतिक क्षेत्र में जेंडर असमानता का समीक्षात्मक अध्ययन

राजेश कुमार श्रीवास्तव*

राजनीति में जेंडर असमानता सर्वदा देखने को मिलती है। पुरुष व महिलाओं में असमानता राजनीति ही नहीं बल्कि सभी क्षेत्रों में व्याप्त है। आज़ादी के छः दशक के बाद भी महिलाओं की स्थिति में आर्थिक सुधार देखने को नहीं मिला है। महिलाओं के साथ भेदभाव हरेक क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। आए दिन समाचार-पत्रों व विभिन्न चलचित्र माध्यमों से हम उनके उत्पीड़न की कहानी सुनते रहते हैं लेकिन उनके सशक्तिकरण के लिए अभी भी बहुत कुछ किया जाना है। राजनीतिक पार्टियों को इस ओर महिलाओं की भागीदारी राजनीतिक क्षेत्रों में सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाने की ज़रूरत है। जब तक ये पार्टियाँ इनको विधायिका में जेंडर समानता का हक नहीं दिलवा देतीं इनकी दुर्दशा इसी तरह होती रहेगी। यह तो राजनीतिक पार्टियों को उनके समान प्रतिनिधित्व के बारे में सोचना अत्यंत आवश्यक है।

भारतीय महिलाएँ स्वतंत्रता के बाद से ही महसूस करने लगीं कि समानता का अधिकार पाना एक आसान प्रक्रिया नहीं है। आज़ादी पाने के परम सुख के साथ-साथ राजनीतिक जटिलता जैसे जाति, भाषा, पारिवारिक विखंडता तथा सांस्कृतिक परंपरा स्पष्ट दृष्टिगोचर होने लगी है। भारतीय महिलाएँ जाति, वर्ग, भाषा, धर्म, क्षेत्र के अवरोध से सतर्क होने लगीं। इन मुद्दों की जटिलता तथा इनको संभाल पाने की जटिलता एक बहुत बड़ी समस्या थी। स्वतंत्रता की लड़ाई के समय जेंडर असमानता उजागर नहीं हुई थी। महिलाओं को आज़ादी की लड़ाई में शामिल किए जाने से उनमें आत्मविश्वास पैदा हुआ जिसके फलस्वरूप वे आगे चलकर सत्ता पदों

* *शोध छात्र*, शिक्षा शास्त्र विभाग, महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, सतना, मध्य प्रदेश 485334

Chapter 2.indd 11 09-08-2017 14:23:09

पर भी आसीन हुईं। आज भी सत्ता के पद हासिल करना उनके लिए आसान कार्य नहीं है।

राजनीति में जेंडर, धर्म एवं जाति के आधार पर भेदभाव देखने को मिलते हैं। इस प्रपत्र में हम विभिन्न भेदभावों की प्रकृति का अध्ययन करेंगे। हम यह देखेंगे कि इनका उपयोग राजनीति में कैसे होता है? हम यह भी देखेंगे कि क्या यह भेदभाव प्रजातांत्रिक देश में स्वस्थकर है अगर नहीं तो आज़ादी के 68 सालों के बाद भी इतनी बड़ी मात्रा में जेंडर असमानता क्यों है?

महिलाएँ व मतदान

जेंडर विभिन्नता का स्तर किसी न किसी रूप में समाज में विद्यमान है। यह असमानता जैविक नहीं अपितु सामाजिक आशाओं तथा रूढ़िवादी धारणाओं पर आधारित है। सन् 1951 से ही महिलाएँ औपचारिक तौर पर पार्टी कार्यकर्ता, निर्वाचन लड़ने के लिए सदस्य के रूप में भाग लेती रही हैं। महिलाएँ विधायक एवं मंत्री के पद पर भी आसीन हैं लेकिन बहुत ही कम महिलाएँ निर्णायक पदों तक पहुँच पाती हैं।

मतदान के ज़रिए हर एक नागरिक देश के राजनीतिक प्रक्रम में अपने आप को समाहित करता है तथा अपने अधिकार का उपयोग करता है जब भारत में वयस्क मताधिकार का अधिकार प्रजातंत्र में प्रयोग के तौर पर निश्चित किया जा रहा था, बहुत से पुरुष एवं महिलाएँ इस राजनीतिक प्रक्रम में पहली बार हिस्सा ले रहे थे। इसमें हताशाजनक मुद्दा यह था कि उस समय पर्याप्त आँकड़े महिलाओं के संदर्भ में नहीं लिये गये। स्वतंत्र भारत के ग्यारह संसदीय चुनाव के मतदान प्रतिशत सारणी 1 में इंगित किए गए हैं —

सारणी 1
मतदाता एवं निर्वाचक

वर्ष	मतदान प्रतिशत		
	कुल	*पुरुष*	*महिला*
1952	60.5	53.0	37.1
1957	63.7	56.0	39.6
1962	55.0	62.1	46.6
1967	61.0	66.7	55.5
1971	55.1	69.7	49.15
1977	60.0	65.62	54.91
1980	75.9	57.69	51.29
1984	62.4	63.61	68.17
1989	62.0	70.09	43.09
1991	53.05	52.56	47.43
1996	57.94	62.47	53.41
1998	62.04	66.06	58.02

प्रथम चुनाव में हज़ारों महिलाएँ इसलिए छूट गयीं क्योंकि उनका नाम निर्वाचन आयोग के यहाँ पंजीकृत नहीं था। इसका कारण यह पाया गया कि महिलाएँ पारंपरिक तौर पर पुरुष के द्वारा ही जानी जाती हैं। वे पिता, पति और पुत्र के द्वारा पहचानी जाती हैं। ये महिलाएँ इस तथ्य को नहीं समझ पायीं कि राजनीतिक सत्ता की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रथम सोपान उनका नाम निर्वाचन आयोग के पास पंजीकृत करवाना है।

चुनाव को कई तथ्य जैसे — शिक्षा, धर्म, जाति व वर्ग के प्रति चेतना, महिला मुद्दे के प्रति जागरुकता, परिवार में पुरुष सदस्यों की राय, महिला सदस्यों की प्राथमिकता तथा विभिन्न राजनीतिक पार्टियों की नीतियाँ प्रभावित करते हैं।

मतदान और साक्षरता के बीच संबंध को स्वीकार किया गया है लेकिन यह पूरी तरह नहीं कहा जा सकता है कि साक्षरता राजनीतिक सतर्कता बढ़ाती है। ऐसा कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है कि साक्षर महिला हमेशा मतदान के प्रति उदासीन रहती है, जबकि निरक्षर महिला ग्रामीण क्षेत्र में मतदान करने के लिए उत्साहित रहती है। समाज, परंपराओं और धर्म द्वारा अधिशासित होता है। मतदान धर्म द्वारा भी प्रभावित होते हैं। राजनीतिक पार्टियाँ धर्म के नाम पर मत माँगने का अनुरोध करती हैं तथा धार्मिक समारोहों का बुद्धिमानी से प्रयोग कर महिला मतदाताओं का उपयोग करती हैं।

जाति व वर्ग के प्रति चेतना भी मतदान को प्रभावित करती है। उत्तर प्रदेश के प्रथम आम चुनाव के अध्ययन के अनुसार, मध्यम व उच्च मध्यम संवर्ग महिला बिना पर्दा किए, आम आदमी के साथ मतदान करने को, अपने आत्मसम्मान को ठेस पहुँचना मानती थी। दुर्भाग्यवश, जाति-पक्षपात और वर्ग-भेद पिछले पाँच दशक से बढ़ा है। वर्तमान महिला आरक्षण विधेयक ने जाति राजनीति का रूप ले लिया है। महिला आरक्षण सीट का मुद्दा अन्य पिछड़ी जातियों के मुद्दे से जोड़ दिया गया जिससे विधेयक पारित नहीं हो सका।

महिला मतों के संदर्भ में यह अधिकतर विश्वास किया जाता है कि परिवार के पुरुष सदस्य ही महिला को मत देने के लिए उम्मीदवारों का नाम बताते हैं, लेकिन यह भी सत्य है कि महिलाओं का अपना मस्तिष्क है। वह अपने पसंद के उम्मीदवार को चुन सकती हैं। नये महिला आंदोलन की लहर और स्वायतशासी संस्थाओं का उदय, अपने आप में रोज़मर्रा की समस्याओं के प्रति ज़ोर पकड़ रहा है। कुछ चयनित महिला सदस्यों के विभिन्न सदनों में आ जाने के कारण महिलाएँ रोज़मर्रा की समस्याएँ — महँगाई, आवास, जल, स्वास्थ्य एवं शिक्षा जैसे तमाम मुद्दों के संदर्भ में आवाज़ उठा रही हैं। वृद्ध महिलाएँ जिनकी उम्र 80 से भी अधिक है वह भी अपने खराब जीवन के प्रति आवाज़ उठा रही हैं। महाराष्ट्र विधानसभा व लोकसभा में महिला सदस्यों द्वारा इस मुद्दे पर कुछ आँकड़े संज्ञान में आए। यद्यपि ये सभी महिला सदस्य महिला विशेष कार्यक्रम से ताल्लुक नहीं रखती थीं जिन्होंने वृद्ध महिलाओं के जीवन-यापन के संदर्भ में आवाज़ बुलंद की। महाराष्ट्र में स्त्री मुक्ति संपर्क समिति ने एक पत्रिका *चुनाव के लिए हमारा सदस्य* जारी की। इस पत्रिका ने महिला

मतदाताओं को सलाह के रूप में ऐसे उम्मीदवारों को चुनने की याचना की जो उम्मीदवार असांप्रदायिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध हों, सामाजिक, घरेलू व राजनीतिक नृशंसता के खिलाफ़ महिलाओं हेतु खड़ा होता हो। वह उम्मीदवार जो महिला विकास के प्रति संवेदनशील हो। अपनी मुख्य प्राथमिकता पानी, खाद्य, चारा, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोज़गार के मुद्दों पर देता हो। चयनित पंचायती राज संस्था के प्रधानों से परिचर्चा विभिन्न मुद्दों जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क आदि के संदर्भ में करता हो।

राजनीतिक पार्टियाँ अब महिलाओं एवं उनके मतों की तरफ़ कुछ ध्यान देने लगी हैं। कुछ मुद्दों व योजनाओं का समावेश उनके घोषणा-पत्र में शामिल है जिन मुद्दों एवं योजनाओं का क्रियान्वयन पार्टियों के दृढ़ संकल्पों एवं निश्चित प्रायोगिक योजना पर निर्भर करता है लेकिन प्रायः यह असफ़ल सिद्ध होता है। राजनीतिक पार्टियों का महिला मुद्दों पर लापरवाही दिखाना किसी से छुपा नहीं है। महिला संगठन जैसे—विमोचना फोरम फॉर विमेंस आर्गनाइज़ेसन्स बेंगलूरु, स्त्री मुक्ति आंदोलन, संपर्क समिति पूना और सेवा अहमदाबाद अपने मतों के लिए विशेष याचना के साथ आगे आयी। वर्तमान में महिला अध्ययन की भारतीय संस्था इण्डियन एसोसिएशन ऑफ़ विमेंस स्टडीज़ ने महिला हित के लिए अपनी आवाज़ बुलंद की। सन् 1991 में सात महिला संगठनों ने इसी कार्य के लिए अपनी आवाज़ उठाई। सन् 1996 में नेशनल एलाइन्स फ़ॉर विमेंस ने महिला घोषणा-पत्र प्रस्तुत किया और महिलाओं के परिप्रेक्ष्य में एक माँग-पत्र प्रस्तुत किया।

महिला एवं राजनीतिक पार्टियाँ

बहुतायत राजनीतिक पार्टियाँ महिलाओं को बेहतर भविष्य देने का वायदा करती हैं। महिला आंदोलन और सन् 1975 का घोषणा-पत्र महिला-वर्ष की तरह था। बाद में 1975–1985 का दशक महिलाओं के लिए राजनीतिक पार्टियों में कुछ बदलाव लाया। महिलाएँ सिर्फ़ सरकारी लाभकारी योजनाओं का लाभ ही नहीं ले रही हैं अपितु सरकार के विकास प्रक्रम में उनका अमूल्य योगदान है। सन् 1989 के चुनाव में राजनीतिक पार्टियाँ महिलाओं के प्रति बदलाव की मुद्रा में दिखाई दीं। महिलाओं के लिए कई वायदे इन राजनीतिक पार्टियों द्वारा किये गये जिसमें प्रमुख तौर पर— स्थानीय निकाय में 30 प्रतिशत आरक्षण कांग्रेस द्वारा, पंचायत में 30 प्रतिशत आरक्षण महिलाओं हेतु सी.पी.आई.एम. द्वारा, 30 प्रतिशत आरक्षण सरकारी नौकरियों में द नेशनल फ्रंट द्वारा, महिलाओं को विशेष नौकरियों में आरक्षण भाजपा द्वारा दिए गए। सन् 1996 में महिलाओं के आरक्षण का वायदा भाजपा, कांग्रेस एवं सी.पी.आई.एम. द्वारा किया गया लेकिन व्यवहार के तौर पर कुछ और ही पाया गया। कई महिलाएँ चुनाव लड़ने हेतु मैदान में उतरीं जिसमें 49 कांग्रेस से, 23 भाजपा से, 13 जनता दल से एवं 4 सी.पी.आई. से थी।

सन् 1998 के चुनाव में भाजपा व सहयोगी पार्टियाँ, कांग्रेस, यूनाइटेड फ्रंट, जनता दल और लेफ़्ट पार्टी ने महिलाओं के लिए अनेक कार्यक्रम सम्मिलित किए जिसमें 33 प्रतिशत आरक्षण

महिलाओं हेतु विधानसभाओं तथा संसद में शामिल थे। महिला सदस्य सिर्फ़ चुनाव प्रतिस्पर्धा में ही नहीं थी, अपितु पार्टियों ने महिला सदस्यों को चुनाव में खड़ा किया जिसमें 44 कांग्रेस से, 26 भाजपा से, 10 जनता दल से एवं 3 सी.पी.आई. से थी।

84वें संविधान संशोधन में 1/3 सीट महिलाओं को विधानसभाओं तथा संसद में देने की बात गर्मजोशी से उठी। यद्यपि पार्टियों ने अपने घोषणा-पत्र में महिलाओं को स्थान दिया, लेकिन ये सभी वायदे कागज़ी होकर रह गये। अधिकांश महिलाओं ने धरना प्रदर्शन व रैलियाँ निकालीं, लेकिन उनका कोई सार्थक परिणाम नहीं निकला।

महिलाएँ निर्णय-निर्धारण समिति में अपना स्थान नहीं पा सकीं। राजनीतिक पार्टियों के पदानुक्रम में महिलाओं को सारणी 2 में दर्शाया गया है —

कुछ महिला नेत्री पार्टी के उच्च पद जैसे पार्टी मुखिया अथवा विधानसभा प्रमुख जैसे इंदिरा गांधी व सोनिया गांधी कांग्रेस से, मृनाल गोर जनता पार्टी से, गीता मुखर्जी सी.पी.आई. से, विजया राजे सिंधिया और सुषमा स्वराज बीजेपी से, ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस से, जयललिता ए.आई.ए.डी.एम.के. से मायावती बसपा से और जया जेटली समता पार्टी से थीं।

यद्यपि राजनीतिक पार्टियों ने महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण का वायदा करने में काफ़ी विलंब किया। महिला सदस्य भी उतने अनुपात में राजनीतिक क्षेत्र में नहीं दिखती। पार्टी ऐसे सदस्यों को टिकट देने से भी नहीं हिचकती है जो महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार, महिलाओं के मुद्दों पर असंवेदनशीलता का समर्थन करते हैं।

सारणी 2
राजनीतिक पार्टियों के पदानुक्रम में महिलाएँ

पार्टी	पदानुक्रम	कुल संख्या	महिलाओं की संख्या
भाजपा	संसदीय बोर्ड	9	1
	राष्ट्रीय कार्यकारिणी	73	9
कांग्रेस	कार्य समिति	19	2
जनता दल	राजनीति कार्यकारिणी समिति	15	0
	संसदीय बोर्ड	15	0
	राष्ट्रीय कार्यकारिणी	75	11
सी.पी.आई. (एम.)	पॉलित ब्यूरो	15	0
	केंद्रीय समिति	70	5
सी.पी.आई.	सचिवालय	9	0
	राष्ट्रीय कार्यकारिणी	31	3
	राष्ट्रीय परिषद्	125	6
यूनाईटेड फ्रंट परिचालक समिति		15	0

सन् 1996 के चुनाव में कुल 14,274 सदस्य थे जिसमें 500 महिलाएँ थीं। जिसमें 2/3 भाग स्वतंत्र सदस्य के रूप में चुनाव लड़ रही थीं। इसमें से 39 सदस्य महिलाओं ने चुनाव में जीत हासिल की। सन् 1998 चुनाव में, भाजपा ने 26 महिलाओं को टिकट दिया जिसमें 14 ने चुनाव जीता। कुल 44 महिलाओं में कांग्रेस से 9 महिलाओं ने चुनाव जीता। एक महिला ने सी.पी.आई. पार्टी से चुनाव जीता। जनता दल पार्टी से 10 महिलाओं ने चुनाव लड़ा जिसमें सभी की सभी चुनाव में हार गईं।

सन् 1999 में चुनाव लड़ने के लिए 277 महिलाओं ने 13वीं लोकसभा में भाग लिया जिसमें से 47 महिलाएँ ही चुनाव जीत सकीं।

महिलाओं का मत राजनीतिक पार्टियों तथा नेताओं के लिए ज़्यादा विचारणीय बिंदु नहीं माना जाता है। राजनीतिक क्षमता की प्रकृति को नहीं समझ पाने के कारण महिलाएँ अपने आप को मतदाता समूह के तौर पर अपना निश्चित रूप धारण नहीं कर पायी हैं।

चयनित महिला सदस्य

महिला सदस्यों के चुनाव में आने के पीछे कई कारक उत्तरदायी हैं जिसमें साक्षरता, उदार परिवार, परिवार की आर्थिक स्थिति, परिवार में पुरुष सदस्यों का समर्थन, राजनीति से जुड़ाव, स्थानीय परिप्रेक्ष्य, अभियान योजना, पार्टी के अंदर आकर्षण तथा व्यक्तित्व प्रमुख हैं। इन सभी का मिलता-जुलता स्वरूप नहीं हो पाने के कारण बहुत कम महिलाओं को टिकट मिलता है तथा इसमें बहुत कम चयनित हो पाती हैं।

महिलाओं को राजनीतिक पार्टियों से टिकट पाना एक कठिन कार्य है। इसमें कई कारकों जैसे — पार्टी-राजनीति, आर्थिक-क्षमता, जाति-संबंध, क्षेत्र-राजनीति, सदस्य की वैयक्तिक-क्षमता आदि को देखा जाता है। पार्टियाँ महिला प्रतिद्वंदी पर अपनी शक्ति बर्बाद नहीं करना चाहती हैं। कई महिलाएँ अपनी सफ़लता के प्रति संशयास्पद होती हैं। प्रायः महिला सदस्य राजनीति जोखिम नहीं लेना चाहती हैं। महिलाओं को उस निर्वाचन क्षेत्र से टिकट दिया जाता है जहाँ उनके जीतने की संभावना नगण्य होती है। लोकसभा में चयनित महिला सदस्यों का विवरण सारणी 3 में प्रस्तुत किया गया है।

महिला नेत्री विभिन्न परिदृश्य से राजनीति में आती हैं। स्वतंत्रता के तुरंत बाद महिलाएँ जैसे — सुचेता कृपलानी, विजयलक्ष्मी पंडित, सुशीला नायर, अमृत कौर और रेनुका राय राष्ट्रीय आंदोलन से राजनीतिक क्षेत्र में आयीं। महिलाएँ जैसे — गायत्री

सारणी 3

लोकसभा में चयनित महिला सदस्य

लोकसभा	वर्ष	कुल सीट	चुनाव लड़ने वाली महिलाओं की संख्या	चयनित होने वाली महिलाएँ	कुल प्रतिशत
प्रथम	1952	499	-	22	4.4
द्वितीय	1957	500	45	27	5.7

तृतीय	1962	503	70	34	6.7
चतुर्थ	1967	523	67	31	5.9
पंचम	1971	521	86	22	4.2
छठम	1977	544	70	19	3.4
सप्तम	1980	544	142	28	5.1
अष्टम	1984	544	164	44	8.1
नवम्	1989	517	198	27	5.2
दशम	1991	544	325	39	7.18
एकादशन्	1996	544	599	40 *	7.18
द्वादशन्	1998	544	271	44 *	8.8
त्रयोदशन्	1999	543	-	49	9.02
चतुर्दशन्	2004	543	-	45	8.29
पंच्चदशन्	2009	543	-	58	10.87
षोडशन्	2014	543	668	66 **	12.15

* एक सदस्या राष्ट्रपति द्वारा नामित।

**चार सदस्या उप-चुनाव द्वारा शामिल।

देवी, विजय राजे भोसले और वसुंधरा राजे राजघराने परिवार से राजनीति में आयीं। कुछ महिलाएँ जैसे मनीबेन पटेल, सहोदरा बाई और लक्ष्मीबाई इसी धरती माँ की पुत्री थीं। वैजंती माला और जयाप्रदा ने फिल्म जगत में परचम लहराया। इंदिरा गांधी ने पाँच बार चुनाव लड़ा। सुभद्रा जोशी, मिनीमाता (मीनाक्षी देवी) और ज्योत्सना चन्दा लोकसभा के लिए पाँच बार चुनी गयीं।

अधिकतर महिला सदस्य साक्षर तथा मध्यमर्गीय परिवार से ताल्लुक रखती हैं। कृषि क्षेत्र, समाज कार्य, चिकित्सा व कानून क्षेत्र से संबंध रखती हैं। उच्च वर्ग की महिलाओं के परिवार राजनीति में प्रवेश के लिए सुगम वातावरण प्रदान करते हैं। कुछ महिलाओं ने अपने परिवार के पुरुष सदस्यों को राजनीति में होने के कारण प्रवेश पाया है उदाहरणार्थ बेगम आबीदा अहमद राष्ट्रपति फ़खरुद्दीन अली अहमद की विधवा हैं। अलका नाथ, कांग्रेस नेता कमलनाथ की पत्नी हैं। इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू की पुत्री थीं। मनीबेन पटेल, वल्लभभाई पटेल की पुत्री थीं। मेनका गांधी, संजय गांधी की विधवा हैं। ये सभी महिलाएँ पुरुषों की वजह से राजनीति में आयीं, परंतु अपनी योग्यता के बल पर इन्होंने अपने आप को जीवित रखा। यह आश्चर्य की बात नहीं है कि कई युगल जोड़ियों ने अपने व्यक्तिगत योग्यता के बल पर भारतीय राजनीति में प्रवेश किया है जिसमें आचार्य कृपलानी व सुचेता कृपलानी, मधु दण्डवते व प्रमिला दण्डवते, ए.के.गोपालन व सुशीला गोपालन और फ़िरोज़ गांधी व इंदिरा गांधी हैं।

15वीं लोकसभा सन् 2009 के आम चुनाव में 543 सदस्यों में से 58 महिलाएँ चयनित हुई थीं।

इतनी उच्च संख्या कभी भी निम्न सदन में देखने को नहीं मिली थी। अगर सन् 1952 के परिणामों पर नज़र डालें तो पता चलता है कि लोकसभा में चुनकर जाने वाली महिलाएँ मात्र 22 थीं जिनका प्रतिशत 4.3 था जो 16वीं लोकसभा के चुनाव में तीन गुना अर्थात् 12.15 प्रतिशत हो गया है, जिससे यह पता चलता है कि महिलाओं में राजनीतिक-जागरुकता का दायरा बढ़ रहा है। वर्तमान लोकसभा अध्यक्षा (स्पीकर) सुमित्रा महाजन हैं। वर्तमान केंद्र सरकार के 26 मंत्रियों में से 6 कैबिनेट मंत्री महिलाएँ हैं, जिनका कुल प्रतिशत 23 है। केंद्र सरकार के कुल 38 राज्य मंत्रियों में 2 महिलाएँ हैं, जो कुल मंत्रियों का 5.3 प्रतिशत है।

लोकसभा की तरह राज्यसभा में भी महिलाओं के प्रतिनिधित्व में कुछ खास फ़र्क नहीं है। यद्यपि सदस्य जैसे— रेनुका चौधरी और तारा सापरे ने अपनी प्रभावशीलता सदस्य के रूप में सिद्ध की। नजमा हेपतुल्ला ने राज्यसभा की अध्यक्षा के तौर पर कार्य किया। राज्यसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कम था जो अग्रलिखित सारणी 4 में दर्शाया गया है।

अब तक बहुत कम महिलाएँ मंत्री पद तक पहुँच सकी हैं। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री पद पर वर्षों रहीं। लक्ष्मी मेनन, राजकुमारी अमृत कौर, सुशीला नैय्यर, तारकेश्वरी सिन्हा, सरोजिनी माहिसी, मार्गरेट आल्वा और सुषमा स्वराज योग्य मंत्री थीं। वास्तव में, ज़्यादातर महिलाओं ने स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक कार्यकारिता, महिला एवं बाल विकास जैसे सौम्य मंत्रालय को संभाला। वित्त, रक्षा और विदेशी मामले महिलाओं को यदाकदा आवंटित किये गये।

सारणी 4
राज्य सभा में महिलाओं की सहभागिता

वर्ष	सीट की कुल संख्या	महिला सदस्यों की कुल संख्या	प्रतिशत
1952	219	16	7.3
1957	237	18	7.5
1962	238	18	7.6
1967	240	20	8.3
1971	243	17	7.0
1977	244	25	10.2
1980	244	24	9.8
1985	244	28	11.4
1990	245	24	9.7
1991	245	38	15.5
2015	244	31 *	12.7

* तीन सदस्या राष्ट्रपति द्वारा नामित

सारणी 5
विधानसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व

राज्य	वर्ष	कुल	महिलाएँ	वर्ष	कुल	महिलाएँ
आंध्र प्रदेश	1957	252	11	1994	294	9
कर्नाटक	1957	179	18	1994	224	7
केरल	1957	127	6	1991	140	8
मध्य प्रदेश	1957	218	26	1993	320	12
पंजाब	1957	101	5	1992	117	6
राजस्थान	1957	136	9	1993	200	9
त्रिपुरा	1967	30	0	1992	60	2
उत्तर प्रदेश	1967	341	24	1993	425	12
पश्चिम बंगाल	1967	195	11	1991	294	18
दिल्ली	1972	56	3	1993	70	3

विधानसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बहुत पेचीदा है। उच्च साक्षरता दर वाले राज्य केरल में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बहुत कम है। महिलाओं का प्रतिनिधित्व राजस्थान में भी कम है जहाँ महिला साक्षरता दर कम है जहाँ महिलाओं पर कई पाबंदियाँ हैं। मणिपुर में जहाँ महिला अपना संप्रदाय एवं परिवार में प्रभावशाली भूमिका अदा करती है, सन् 1990 तक मणिपुर में महिला विधायक कम थे। नागालैंड व उत्तर-पूर्वी राज्यों में स्थिति कुछ इसी तरह की है। इसके विपरीत उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में महिलाओं का प्रतिनिधित्व लोकसभा तथा विधानसभाओं में ज़्यादा है। जबकि यहाँ भी महिलाओं की शिक्षा का स्तर कम है तथा महिलाओं के ऊपर तमाम पाबंदियाँ हैं।

महिलाओं का राज्यों के मुखिया पद पर आसीन होना विभिन्न प्रदेशों में देखा गया है। जैसे— सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश, नन्दिनी सतपथी उड़ीसा, शशिकला काकोधर गोवा में मुख्यमंत्री पद पर देखी गयीं। मायावती उत्तर प्रदेश, राबड़ी देवी बिहार की तत्कालीन मुख्यमंत्री थीं जबकि जयललिता तमिलनाडु में तीसरी बार मुख्यमंत्री पद पर देखी गयी हैं। ममता बैनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री पद पर दोबारा आसीन हो गई हैं। वर्तमान में आनंदी बेन पटेल गुजरात की मुख्यमंत्री पद पर विराजमान हैं। ज़्यादातर महिलाएँ पार्टी राजनीति और राज्य राजनीति के कारण उच्च पद पर आसीन की गयीं।

सरकारी तथा गैर-सरकारी संभाग

बच्चों की परवरिश खासकर महिलाओं के कंधों पर होती है। महिलाओं को घर की ज़िम्मेदारी उठाना तथा बच्चों की देखभाल का दायित्व संभालना होता है। इसे जेंडर असमानता कहा जाता है। महिलाएँ घर से संबंधित सभी प्रकार के कार्य जैसे — खाना पकाना, साफ़-सफ़ाई, कपड़े धोना, सिलाई-बुनाई,

बच्चों की देखभाल करती हैं, वहीं पुरुष घर के बाहर का कार्य करते हैं। यह नहीं है कि पुरुष महिलाओं का कार्य नहीं कर सकते लेकिन वे सोचते हैं कि यह कार्य सिर्फ़ महिलाओं का है। जब इसी कार्य का मेहनताना मिलता है तो पुरुष इस कार्य को करने के लिए तैयार रहते हैं। होटल में ज़्यादात्तर खाना बनाने का कार्य पुरुष ही करते हैं। सार्वजनिक स्थलों पर सिलाई-बुनाई का कार्य भी पुरुषों को ही आमतौर पर करते हुए देखा जाता है। इस प्रकार यह नहीं है कि महिलाएँ घर से बाहर का कार्य नहीं करती हैं। गाँवों में, महिलाएँ कुँए से पानी लाना, खाना पकाने के लिए लकड़ी इकट्ठी करना व खेतों में कार्य करना इत्यादि कार्य करती हैं, वहीं शहरी क्षेत्रों में मध्यम वर्ग की गरीब महिलाएँ घर में सहायक (मददगार) के तौर पर कार्य करती हैं तथा मध्यम वर्ग की महिलाएँ कार्यालयों में कार्य करती हैं।

वास्तव में, अधिकतर महिलाएँ घरेलू कार्य के साथ-साथ बाह्य वेतनिक कार्य भी करती हैं लेकिन उनके कार्य को मूल्य व मान्यता समाज तथा घर के सदस्यों द्वारा प्राय: नहीं दी जाती है।

इस जेंडर असमानता का परिणाम यह होता है कि यद्यपि महिलाओं की जनसंख्या पूरे मानवजाति की लगभग आधी है, उनकी सार्वजनिक जीवन में भूमिका, खासकर राजनीतिक क्षेत्र में लगभग नगण्य है। पूर्व में, पुरुष ही सरकारी कामकाजों में हिस्सा लेते थे, वोट देते थे तथा सरकारी नौकरियों के लिए प्रतिस्पर्धा करते थे। धीरे-धीरे महिलाओं ने भी इन क्षेत्रों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया है लेकिन इन्हें पुरुषों की तरह समाज द्वारा समानता प्रदान नहीं की जाती है। धीरे-धीरे, यह जेंडर असमानता का मुद्दा राजनीति में ऊपर उठा। संसार के विभिन्न भागों में महिलाओं ने समान अधिकार हेतु आंदोलन किए। विभिन्न देशों में वोट अधिकार के लिए महिलाओं ने आंदोलन किए। इन आंदोलन में महिलाओं ने राजनीतिक व कानूनी अधिकारों के विस्तार की माँग की तथा शैक्षिक व रोज़गार के अवसरों के सुधारों की माँग हुई। अतिउग्र सुधारवादी महिला आंदोलन इस उद्देश्य से किये गये ताकि महिलाओं को वैयक्तिक तथा पारिवारिक जीवन में समानता व अधिकार मिले। इस आंदोलन को नारी मुक्ति आंदोलन के नाम से पुकारा गया।

जेंडर असमानता की राजनीतिक-अभिव्यंजना (हाव-भाव) तथा राजनैतिक लामबंदी महिलाओं की भूमिका सार्वजनिक क्षेत्रों में सुधारने में मददगार साबित हुई। वर्तमान समय में हम पाते हैं कि महिलाएँ वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, मैनेजर, कॉलेज एवं विश्वविद्यालय प्रोफ़ेसर के तौर पर कार्यरत हैं जो कि पूर्व में महिलाओं के लिए सही कार्य नहीं माने जाते थे। संसार के कुछ दूसरी जगहों जैसे स्कैन्डीनाविएन देशों जैसे — स्वीडन, नार्वे व फिनलैंड में महिलाओं की सहभागिता अधिक है।

भारत में आज़ादी के बाद से महिलाओं की स्थिति में कुछ सुधार हुए हैं लेकिन महिलाएँ आज भी पुरुषों की तुलना में पीछे हैं। भारत में आज भी पुरुष वर्ग का आधिपत्य कायम है इसीलिए इसे पितृसत्तात्मक समाज कहा गया है। महिलाएँ भेदभाव, उत्पीड़न तथा प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना तरह-तरह से करती हैं।

- महिलाओं की साक्षरता-दर 54 प्रतिशत है जबकि पुरुषों की साक्षरता-दर 70 प्रतिशत है। देश की निम्न अनुपात वाली किशोरियाँ ही उच्च शिक्षा ग्रहण कर पाती हैं। जब भी हम स्कूल परिणामों पर नज़र डालें, तो पता चलता है कि छात्राएँ, छात्रों की अपेक्षा अच्छा प्रर्दशन करती हैं। अधिकतर छात्राएँ स्कूल इसलिए छोड़ देती हैं। क्योंकि उनके अभिभावक उनकी शिक्षा पर अधिक खर्च करना पसंद नहीं करते हैं।
- इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि पुरुषों के अनुपात में महिलाओं को उच्च वेतन की नौकरी की संभावनाएँ कम हैं। भारतीय महिलाएँ पुरुषों की अपेक्षा एक दिन में औसतन एक घंटा अधिक कार्य करती हैं। यद्यपि महिलाओं के कार्य को कोई प्रदत्त (वेतन) तथा सम्मान समाज व घर द्वारा नहीं दिया जाता है।
- संयुक्त राष्ट्र मानव विकास रिपोर्ट 2015 (14 दिसंबर 2015 को प्रकाशित) के अनुसार महिलाएँ संसार का 52 प्रतिशत कार्य करती हैं, फिर भी पुरुष-महिला के कार्यों में काफ़ी असमानता है। दुनिया भर में महिलाएँ पुरुषों की अपेक्षा औसतन 24 प्रतिशत कम धनोपार्जन करती हैं। मानव विकास सूचकांक 2015 की रिपोर्ट ने भारत सरकार को प्रोत्साहित किया कि नौकरियों का सृजन करे जिससे ज़्यादातर लोगों को रोज़गार मिले। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि अवैतनिक-सेवा को हतोत्साहित करे साथ ही साथ स्वैच्छिक अथवा सृजनात्मक नौकरियों को प्रोत्साहित करे। यह सब मानव विकास सूचकांक के लिए ज़रूरी है। यह सब पुरुष व महिलाओं के बीच की असमानता को कम करेगा। समाज को नई नीतियों की आवश्यकता है जो बेहतर वैतनिक नौकरियों व सेवाओं से ध्यान आकृष्ट करें।[1]
- देश में हर वर्ष 'अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस' दिनांक 8 मार्च को मनाया जाता है लेकिन उनके सुधार हेतु कुछ खास नहीं किया जाता। सिर्फ़ देश के नेता बड़े-बड़े भाषण देते हैं और सब जहाँ का तहाँ रह जाता है। आज़ादी के 68 साल बीत जाने के बाद भी स्थिति में उतना सुधार नहीं आया जितना आना चाहिए।
- 'समान वेतन अधिनियम' यह प्रस्तावित करता है कि समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। कई क्षेत्रों के कार्य जैसे — सिनेमा व खेल, फ़ैक्टरी व निर्माण क्षेत्र इत्यादि स्थानों पर महिलाओं को पुरुषों की अपेक्षा कम वेतन दिया जाता है जबकि दोनों एक ही प्रकार के समान कार्य करते हैं।
- भारत के विभिन्न राज्यों में अभिभावक सिर्फ़ पुत्र पैदा होना ही पहली पसंद रखते हैं, लड़की के पैदा होने से पूर्व ही गर्भपात करवा दिया जाता है। इसी भ्रूण-हत्या के कारण ही कन्याओं के जेंडर अनुपात का औसत 927 (प्रति कन्या 1000 पर) तक सिमट गया है। कुछ विशेष राज्यों में यह जेंडर अनुपात 850 तथा 800 तक पहुँच गया है।

महिलाओं के खिलाफ़ हिंसा, शोषण तथा उत्पीड़न की सूचना आये दिन समाचार-पत्रों के माध्यम से मिलती रहती है। महिलाएँ अपने घर में भी असुरक्षा का भाव जैसे— उत्पीड़न व मारपीट तथा अन्य तरह के शोषण का सामना कर रही हैं।

महिलाओं के राजनीतिक सशक्तीकरण के उपाय

यह हमें अच्छी तरह पता है कि महिलाओं से संबंधित मुद्दों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता है। इसी वजह से कई नारी मुक्ति आंदोलन इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि जब तक महिलाओं को राजनीतिक अधिकार नहीं प्राप्त होंगे तब तक उनके मुद्दों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जायेगा। इसका सिर्फ़ एक ही रास्ता है कि महिला सदस्य अधिक से अधिक निर्वाचित हों तथा राजनीतिक क्षेत्रों में सक्रिय भूमिका निभाएँ।

उपरोक्त समस्या के समाधान हेतु यह कानून द्वारा निश्चित कर दिया जाए कि महिलाओं का औचित्यपूर्ण (न्यायसंगत) राजनीतिक प्रतिनिधित्व होना चाहिए। जिस प्रकार से ग्राम पंचायत में किया गया है। 33 प्रतिशत आरक्षण स्थानीय निकाय जैसे ग्राम पंचायत व नगरपालिका में आरक्षित है। वर्तमान में दस लाख से अधिक महिला प्रतिनिधि ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के निकायों में प्रतिनिधित्व कर रही हैं।

महिला संगठन 33 प्रतिशत आरक्षण की माँग लोकसभा तथा विधानसभाओं में कर रही हैं। एक प्रस्तावित विधेयक संसद भवन में एक दशक से लंबित पड़ा है लेकिन राजनीतिक पार्टियों में विधेयक पर आम सहमति नहीं बन सकी है जिससे विधेयक पारित नहीं हो पाया हैं।

इसी मुद्दे पर राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी ने राष्ट्रीय महिला जनप्रतिनिधि सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए कहा कि विधायिका में महिला आरक्षण नहीं हो पाना दुर्भाग्यपूर्ण हैं। उन्होंने लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने पर ज़ोर दिया तथा कहा कि कई वर्षों बाद भी महिलाओं के लिए एक तिहाई आरक्षण की व्यवस्था नहीं हो पाना दुर्भाग्यपूर्ण है। लोकसभा तथा विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण के लिए संशोधन विधेयक सदन में पारित नहीं हो पाया है। राष्ट्रपति ने कहा कि 1952 से अब तक हम जनप्रतिनिधि के रूप में महिलाओं की भागीदारी को 12 प्रतिशत से अधिक नहीं कर पाए हैं। प्रतिनिधित्व बढ़ाए बगैर सशक्तीकरण कैसे संभव हो पाएगा? उन्होंने ***बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ*** की अपील के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की। पंचायतों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ने की चर्चा करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि कई राज्यों ने पंचायतों में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की है और कुछ राज्य इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का थीम *जेंडर समानता* पर घोषित किया है। इस समानता और महिला सशक्तीकरण के लिए समर्पण दिखाना होगा।[2]

उपराष्ट्रपति श्री हामिद अंसारी ने इसी मौके पर सियासी दलों से कहा कि वे चुनाव में महिला प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ाएँ। उपराष्ट्रपति ने कहा कि लोकसभा चुनाव 2014 में 47 प्रतिशत मतदान करने वाली महिलाएँ थीं। पंचायतों में महिला

प्रतिनिधियों की हिस्सेदारी 43.56 प्रतिशत है जो विश्व में सबसे अधिक है, लेकिन संसद में उनका प्रतिनिधित्व सिर्फ़ 12 प्रतिशत है। सभी राजनीतिक दलों को सहयोग कर महिला आरक्षण संबंधी संशोधन विधेयक को पारित करने को सुनिश्चित करना पड़ेगा। पिछले लोकसभा चुनाव में 1591 प्रत्याशियों में से सिर्फ़ 146 महिलाएँ थीं, यह सिर्फ़ 9.17 प्रतिशत है। राजनीतिक दलों को उनकी भागीदारी इसमें भी बढ़ानी चाहिए।[3]

लोकसभा अध्यक्षा सुश्री सुमित्रा महाजन ने सशक्त भारत के निर्माण में महिलाओं की अहम भूमिका को रेखांकित किया। महिला जनप्रतिनिधियों का सम्मेलन पहली बार हो रहा है इससे महिलाओं की प्रभावी भूमिका को तय करने में मदद मिलेगी। गौरवशाली भारत के निर्माण में महिलाओं की भूमिका बढ़ाने पर सम्मेलन मंथन करेगा। महिलाएँ नैसर्गिक प्रबंधक होती हैं। सामाजिक, आर्थिक, शासन प्रणाली में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाकर ही विकास संभव है।[4]

राजनीति में सामाजिक विभिन्नता को अभिव्यक्त करना ही लैंगिक विभिन्नता का एक उदाहरण है। ये यह भी दिखाता है कि अलाभप्रद समूह तब ही लाभ उठाता है जब सामाजिक विभिन्नता राजनीतिक मुद्दा बने। क्या महिलाएँ कुछ लाभ ले पातीं जब उनका मुद्दा राजनीतिक गलियारों में नहीं उठाया गया होता?, खासकर नहीं। महिलाएँ अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं हैं, अगर ग्राम पंचायतों व नगर निगम/नगरपालिका में आरक्षित सीटों की बात की जाए तो यह देखा जाता है कि महिलाएँ अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं हैं। महिला आरक्षित क्षेत्र होने के बावजूद भी वे क्षेत्रों में मतदाताओं से मिलने-जुलने से परहेज़ करती हैं। उनका यह कार्य उनके पति अथवा अन्य परिजनों द्वारा किया जाता है। महिला प्रधान के निर्वाचित होने के बाद सारा कार्यभार उसका पति देखता है। अधिकतर ग्राम पंचायतों में सरपंच के तौर पर निर्वाचित महिला को कोई नहीं जानता है बल्कि पूरा कार्य निर्वाचित महिला का पति संभालता है। इसके लिए अत्यंत आवश्यक है कि महिलाएँ अपने अधिकारों के प्रति सजग व जागरूक रहें, नहीं तो निम्न व उच्च सदन में सीटें आरक्षित होने के बावजूद भी वह अपनी पहचान स्वयं नहीं कायम कर पायेगी। सदा पुरुष वर्ग का वर्चस्व कायम रहेगा।

मुझे *'अमर उजाला'* समाचार-पत्र की एक घटना याद है कि जब महिला ग्राम प्रधान चुनाव जीतकर शपथ-ग्रहण समारोह में जिला मुख्यालय पर जाती है तो शपथ-ग्रहण समारोह किसी महिला उपजिलाधिकारी से करवाया जाता है। महिला उपजिलाधिकारी कुछ महिला ग्राम प्रधानों को घूँघट में देखती है और कहती है कि घूँघट उठाइये आप ग्राम प्रधान बन गयी हैं आपको अपने क्षेत्र में ग्राम के विकास हेतु कार्य करना है। अगर इसी तरह की स्थिति महिलाओं की बनी रही तो वे समानता के मुकाम पर कैसे पहुँचेंगी ?

महिलाओं के राजनीतिक सशक्तीकरण के लिए निम्न उपाय सार्थक सिद्ध हो सकते हैं—

1. महिलाओं के स्थानीय नेतृत्व की पहचान एवं महिला समूह की स्थापना, प्रशिक्षण व कार्यवाही

करना। अंतर्वैयक्तिक सूचनाओं के विकास के लिए विशेष ध्यान, प्रशिक्षण एवं सामुदायिक नेतृत्व प्रदान करना।

2. आज सूचना प्रौद्योगिकी के युग में महिलाओं को प्रभावशाली नागरिक बनाने के लिए सूचना के विभिन्न तकनीकों का प्रयोग प्रभावशाली ढंग से किया जाना चाहिए। शिक्षा व रोज़गार का प्रयोग महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व बढ़ाने में लाभकारी संपर्क साधन के रूप में प्रयोग किया जाना चाहिए।
3. सीटों का आरक्षण एक अन्य परिवर्ती पैमाना हो सकता है, जिसे अपनाया जाना चाहिए।
4. महिलाओं की अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में प्रभावशाली भागीदारी के लिए उनका ज़्यादा प्रतिनिधित्व सभी प्रतिनिधिमंडलों में किया जाना चाहिए।
5. सभी राजनीतिक पार्टियों की महिलाओं को चुनाव में कुछ प्रतिशत की भागीदारी को अवश्य सुनिश्चित करने में अपना योगदान देना चाहिए।

पुरुष व महिलाएँ दोनों सम्मिलित रूप से समाज की गाड़ी को चलाते हैं, किंतु पुरुष सर्वोपरि समझा जाता है जो कि सर्वथा अनुचित है। दोनों को समान अधिकार हर एक क्षेत्र में मिलना चाहिए। सरकार का कार्य कानून बनाने तथा उसका क्रियान्वयन करने तक ही सीमित नहीं है। वर्तमान सरकार बहुमत में है, सरकार को राज्यसभा में पारित हुए लंबित पड़े महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण वाले विधेयक को लोकसभा में पारित करवाना चाहिए। यह महिलाओं के ऊपर है कि वह अपने दायित्वों के प्रति कितनी सजग व सतर्क रहती हैं। अगर वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं रहेंगी तो उन्हें कितनी भी शक्ति क्यों न दे दी जाएँ उनकी दशा ज्यों की त्यों बनी रहेगी?

टिप्पणी

[1]सी.एस.आर. 2015. *यूनाइटेड नेशन ह्यूमन डेवलपमेंट 2015 रिपोर्ट*. फ़रवरी अंक. पृ. 38.

[2]अमर उजाला ब्यूरो (2016, मार्च 6) विधायिका में महिला आरक्षण नहीं हो पाना दुर्भाग्यपूर्ण — प्रणव. अमर उजाला, पृ. 14.

[3]वही

[4]वही

ग्रंथ सूची

एनसीईआरटी. 2007. *जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, डेमोक्रेटिक पालिटिक्स* (कक्षा दस की राजनीति विज्ञान की किताब), प्रथम संस्करण, पृ. 39. एनसीईआरटी, नयी दिल्ली.

कुमार, राधा. 2011. *महिला संघर्ष का इतिहास*. वाणी प्रकाशन, नयी दिल्ली.

देसाई, नीरा व उषा ठक्कर. 2011. *भारतीय समाज में महिलाएँ*. प्रथम संस्करण. नेशनल बुक ट्रस्ट, इंडिया.

लेनिन, वी.आई. 2010. द *इमैंसिपेशन ऑफ़ विमेंस*. प्रथम संस्करण. राहुल फाउंडेशन, लखनऊ.

सूर्याकुमारी, ए. 1999. *एजुकेशन एंड विमेंस इंपावरमेंट*. पृ. 49–53. एसोसिएशन ऑफ़ इंडियन यूनिवर्सिटीज़. नयी दिल्ली.

http://loksabha.nic.in/

http://rajyasabha.nic.in/